भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : **2496**

दिनांक 5 मार्च , 2020 / 15 फाल्गुन, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

<u>विमानपत्तन में अंशधारिता पैटर्न</u>

2496. डॉ. के. जयकुमार:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में जीएमआर समूह द्वारा प्रबंधित विमानपत्तनों में अंशधारिता पैटर्न है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में ऐसे विमानपत्तनों की सूची क्या है;

(ख) क्या भारत में प्रचालन कर रही किसी विमान कंपनी के उपरोक्त विमानपत्तनों में अंशधारिता है;

(ग) यदि हां, तो भारत में जीएमआर समूह द्वारा प्रबंधित विमानपत्तनों में इन विमान कंपनियों की अंशधारिता की अधिकतम प्रतिशतता कितनी है; और

(घ) क्या जीएमआर प्रबंधित विमानपत्तनों में विमान कंपनियों द्वारा अंशधारिता की कोई सीमा है और यदि हां, तो इस सीमा के पीछे क्या तर्क हैं?

<u>उत्तर</u>

<u>नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)</u>

(क) वर्तमान में देश में जीएमआर द्वारा तीन हवाईअड्डों का प्रचालन किया जा रहा है। इनका शेयरधारक पैटर्न सहित ब्यौरा निम्नातनुसार है:

(i) इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (आईजीआईए), नई दिल्ली

जीएमआर हवाईअड्डा लिमिटेड - 64%

फ्रेंकपोर्ट एजी - 10%

भाविप्रा - 26%.

(ii) राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (आरजीआईए), हैदराबाद -

जीएमआर हवाईअड्डा लिमिटेड - 63%

तेलंगाना सरकार - 13%

भाविप्रा- 13%

मलेशिया एयरपोर्ट्स होल्डिंग बरहाद - 11%

(iii) मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, गोवा -

जीएमआर हवाईअड्डा लिमिटेड (जीएएल)- 99.99%

गोवा सरकार (जीओजी) - 0.01% (गोल्डन शेयर के रूप में 1 इक्विटी शेयर);

(ख) जी नहीं;

(ग) तथा (घ): एयरलाइन स्वामियों द्वारा जीएमआर प्रबंधित हवाईअड्डों के शेयरों की धारिता की सीमा का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) आईजीआई हवाईअड्डा, दिल्ली:- वर्ष 2006 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड के बीच हस्ताक्षरित प्रचालन, प्रबंधन और विकास करार (ओमडा) के खंड-2.5 (l) (ii) के अनुसार, समझौते की अवधि के दौरान किसी भी समय, अनुसूचित एयरलाइनों और उनके संबंधित समूह निकायों की सकल शेयरधारिता, संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) के कुल जारी और प्रदत्त शेयरों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ii) मोपा हवाईअड्डा, गोवा: कुल इक्विटी स्वामित्व के 26 प्रतिशत तक और बिना बोर्ड प्रतिनिधित्व के (गोवा राज्य सरकार और जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड के बीच वर्ष 2016 में रियायत करार पर हस्ताक्षर किए गए)।

(iii) आरजीआई हवाईअड्डा, हैदराबाद:- हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा इक्विटी भागीदारी पर कोई सीमा नहीं है (भारत सरकार और जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड के बीच वर्ष 2004 में रियायत करार पर हस्ताक्षर किए गए)।

सामान्य रूप से, एयरलाइन प्रचालकों द्वारा हवाईअड्डों में इक्विटी भागीदारी की सीमा, एकाधिकार की स्थिति और हितों के टकराव से बचने के लिए निर्धारित की जाती है और यह रियायत करारों पर हस्ताक्षर करते समय अपेक्षाओं के आधार पर प्रत्येक हवाईअड्डे के लिए भिन्न होती है।

*****